राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामचन्द्र | बिड़ी

तारीख हुक्म	251/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/1/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 20 एवं 11 सपठित धारा 151 सी पी सी एवं प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 एवं 11 सपठित धारा 151 सी पी सी मय वकालतनामा प्रस्तुत हुये। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यों के उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर तदनुसार वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तत्तपश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी ने संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थीगण एवं रेस्पो. संख्या 6 के वारिसान की और से प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश हुआ जिस पर दोनों पक्षों को सुना दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की स्वीकारोक्ति की गयी एवं अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पो. संख्या 2 लगायत 5 के विरुद्द भविष्य में वाद प्रस्तुत कर क़ानूनी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये अपील विड्रा किये जाने की ईस्तदुआ की गयी। अत: अपीलान्ट्स को रेस्पो. संख्या 2 लगायत 5 के विरुद्द भविष्य में वाद प्रस्तुत कर क़ानूनी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये राजीनामा के अनुसार अपील विड्रा किये जाने से खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05/1/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	